प्रकरण संख्या 47 / 19 2019 / 00186 ता0रजू 22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

रामनंद पुत्र जनवेद आयु 35 सारल जाति मीना निवासी अंगदकापुरा बहरदा थाना लांगरा जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक अदालत हाजा करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 14.05.2019 न्यायालय जिला बाल कल्याण समिति करौली क्र. 1261 उनवानी रामनंद बनाम सरकार

निर्णय

दिनांक–11.09.2019

यह अपील किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 101(1) के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता किशोरी मनीषा पुत्री सतानंद जाति मीना उम्र 11 वर्ष निवासी अंगदपुर थाना लांगरा जिला करौली के जैविक पिता का स्वर्गवास होने एवं माता का किसी अन्य के यहां नाते चली जाने पर अमर शशि बालिका गृह हिण्डौन में रह रही है जिसके पालन–पोषण हेतु किशोरी के चाचा द्वारा बालिका को सुपुर्द किये जाने के प्रार्थना पत्र को जिला बाल कल्याण समिति द्वारा दिनांक 14.05.2019 को खारिज कर दिया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला बाल कल्याण समिति करौली दिनांक 14.05.2019 खिलाफ कानून है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत विवेचन कर निर्णय आदेश जैर अपील पारित किया है जो आरवीट्रेरी व परवर्स रेस्पोण्डेण्ट है। दिनांक 20.04.2019 को पुलिस थाना लांगरा द्वारा प्रस्तुत बालिका नाबालिग मनीषा पुत्री स्व. श्री सतानन्द मीना निवासी अंगदकापुरा बहरदा थाना लांगरा का प्रार्थी अपीलकर्ता सगा चाचा है। बालिका मनीषा मेरी सगी भतीजी लगती है। नाबालिग बालिका मनीषा के पिता की दिनांक 05.06.2013 को मृत्यु हो चुकी है तथा नाबालिग बालिका मनीषा की माता प्रेमबाई सतानंद की मृत्यु के बाद बालिका मनीषा उम्र करीब 4 साल को छोड कर रामेश्वर मीना निवासी मनाखुर के यहां नाते चली गयी थी। बालिका मनीषा की माता काली व बहरी है जो न सुन सकती है और न ही बोल सकती है। तभी से बालिका मनीषा पुत्री स्व. श्री सतानंद के सगे भाई रामनंद व रामनंद की पत्नि एवं बालिका मनीषा की मौसी के यहां रह रही है तथा रामनंद व रामनंद की पत्नि बालिका मनीषा की मौसी ही उसका पालन–पोषण व देखरेख 8 वर्षो से कर रहे है। बालिका मनीषा के पोषक माता–पिता व संरक्षक प्रार्थी अपीलकर्ता व उसकी पत्नि बालिका मनीषा की मौसी है। बालिका मनीषा अपीलकर्ता के यहां रह रही थी और निगरानीकर्ता के राशनकार्ड में बालिका मनीषा का पुत्री के रूप में नाम दर्ज है। बालिका मनीषा के भविष्य एवं सर्वांगीण विकास के लिये बालिका मनीषा को अपीलकर्ता की सुपुदर्गी में दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलकर्ता के भाई सतानंद के स्वर्गवास दिनांक से बालिका मनीषा को पाला–पोषा है। बालिका मनीषा अपीलकर्ता के पास ही रही है। अपीलकर्ता ही बालिका

जिला कलक्टर
करौली

मनीषा का एक मात्र पोषण पिता व एक मात्र संरक्षक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि थानाधिकारी लांगरा के पत्र क्रमांक 670 दिनांक 20.04.2019 के अनुसार बालिका मनीषा के मामा के द्वारा बालिका को उसके चाचा के द्वारा बेचे जाने की शिकायत पर अपीलार्थी से बालिका को तलब किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया था। बालिका के चाचा उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और बालिका के मामा भी उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दोनों पक्षों में तनाव है। गांव वालों ने बताया कि दोनों पक्ष बालिका की सगाई अपने–अपने हिसाब से करना चाहते हैं। बालिका दोनों ही पक्षों में से किसी के पास जाना नही चाहती है। अतः जब तक बालिका के वैध संरक्षक का निर्णय नहीं हो जाता तब तक बालिका को बालिका गृह में रहने दिया जावे। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। चूंकि किशोरी मनीषा पुत्री सतानंद जाति मीना उम्र 11 वर्ष निवासी अंगदपुर थाना लांगरा जिला करौली के जैविक पिता का स्वर्गवास होने एवं माता का किसी अन्य के यहां नाते चली गई है। इस प्रकार पीडिता बालिका के जैविक माता–पिता अब नहीं है। बालिका के चाचा व मामा दोनों ही पक्ष बालिका को अपने साथ ले जाना चाहते हैं जिनमें आपस में तनाव है। पुलिस रिपोर्ट अनुसार दोनों ही पक्ष अपने–अपने मन माफिक बालिका की सगाई करना चाहते हैं जबकि बालिका अभी नाबालिग है जिसकी अभी सगाई अथवा शादी किया जाना उचित नहीं है। काउंसलिंग में बालिका द्वारा किसी भी पक्ष के साथ जाने में असहमति जताई है। दोनों पक्षों के तनाव व दोनों पक्षों द्वारा बालिका की मन माफिक सगाई करने पर बालिका के विकास पर विपरीत प्रभाव आने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में बालिका की सुरक्षा एवं विकास को ध्यान में रखते हुए बालिका के वैध संरक्षक घोषित होने तक बालिका को बालिका गृह में रखा जाना ही उचित रहेगा। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर,
करौली